Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand

APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION (AMENDMENT) RULES, 2013

Email : ceonainital11@gmail.com

Phone Number : 05942-248469

Fax Number : 05942-248469

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Nainital, Uttarakhand
Letter No : 162021-22

Dated : 21-04-2022

To,

The Manager,
ELITE PUBLIC SCHOOL, Madanpur, kishanpur, golaapr
Nainital, Haldwani, HALDWANI, Pin-Code: 26313

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 21-04-2022 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school ELITE PUBLIC SCHOOL, Madanpur, kishanpur, golaapr, Nainital, Haldwani, Pin-Code: 26313.The registration number of your school is RTE-32486 in District Nainital This registration/recognition is for the period from 21-04-2022 to 21-04-2027 class Pre- Primary to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future,then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

MANAGER
Elite Public School
Madanpur Kishanpur Gaulapar
Haldwani, Nainital (U.K.)

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Nainital
Uttarakhand

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इलाईट पब्लिक स्कूल,
मदनपुर किशनपुर गौलापार
हल्द्वानी नैनीताल।

पत्रॉक / 1574-21 / मान्यता / 2021–22 दिनाक 25 मार्च 2022

विषयः– **हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम) की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) के पत्रॉक/ मान्यता / 843–47 / 2021–22 दिनाक 24 दिसम्बर 2021 के कम में आपके विद्यालय को विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 की धारा–18(4) के अन्तर्गत **हाईस्कूल नवीन(अंग्रेजी माध्यम)** की वित्त विहीन मान्यता विद्यालय के रूप में परिषद की **वर्ष 2024 की हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** की परीक्षा से निम्नांकित विषयों में **सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों** के अधीन **कक्षा 9 वीं** संचालन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जनपद में आपका **विद्यालय कोड 263** निर्धारित किया जाता है।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी / संस्कृत 3. गणित / गृह विज्ञान (केवल बालिकाओ के लिए) 4. विज्ञान 5. सामाजिक विज्ञान 6. योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7. कार्यानुभव / उद्यमिता विकास 8. कला शिक्षा	9(क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ड.) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिक (छ) कृषि (ज)व्यावसायिक शिक्षा

भवदीय,

25/3/22

(कुँवर सिंह रावत)
मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ०स० / / मान्यता / 2021–22 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित–

1. सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) ।
2. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

MANAGER
Elite Public School
Madanpur Kishanpur Gaulapar
Haldwani, Nainital (U.K.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, (नैनीताल)।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इलाईट पब्लिक स्कूल
मदनपुर, किशनपुर, गौलापार,
हल्द्वानी, नैनीताल ।

पत्रांकः– मान्यता/843-47 /2021–22 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021

विषयः– हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम) की परीक्षा के लिये मान्यता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्याः–1212(1)/XXIV–4/2021–5(02)/2021 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून, दिनांकः 30 नवम्बर, 2021 के द्वारा आपके विद्यालय को **विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा–18(4)** के अधीन **हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** की वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का स्वीकृति आदेश प्रदान किया गया है।

उक्त शासनादेश के क्रम में विद्यालय को परिषद् की **वर्ष–2024** की **हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)** की परीक्षा से निम्नलिखित विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ मान्यता पत्र निर्गत किया जाता है।

<u>सामान्य प्रतिबन्ध</u>

(1) इस पत्र में वर्ग/विषय की नवीन 9वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, साज–सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्राभूत, सुरक्षित कोष, आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से मुख्य शिक्षा अधिकारी को पूर्ण रूपेण संतुष्ट करें। इसके लिये संस्थाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2) इस आदेश पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही मुख्य शिक्षा अधिकारी से 9वीं कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय, इसके लिये सिंगल सीटेड कुर्सी व मेज ही स्वीकार किये जायेंगे।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों में अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति नियमानुसार की जाय।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाय।

(6) नवीन वित्त विहीन मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि सम्बन्धित विद्यालय द्वारा भविष्य में अनुदान के लिये मांग नहीं की जायेगी तथा नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयंमेव वहन करेंगे।

कृ०प०उ०

Scanned with OKEN Scanner

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाय।

(ग) 1–विद्यालय के पक्ष में 1265 वर्ग मी0 भूमि की पंजीकृत लीज डीड प्रस्तुत की गयी है, जिस पर विद्यालय भवन निर्मित है, जो मानकानुसार ग्रामीण क्षेत्रहेतु 2000 वर्ग मी0 से कम है तथा प्रस्तुतभू–उपयोगिता प्रमाण पत्रानुसार 0◦316 है0 भूमि पर स्कूल का कीड़ा स्थल है, जो व्यक्तिगत नाम से पंजीकृत होने के कारण ग्राहय नहीं है।

उपरोक्त प्रस्तर "ग" में वर्णित कमियों/प्रतिबन्धों को अनिवार्य रूप से छः माह में पूर्ण कर पुष्टि के साक्ष्य स्वरूप पुष्ट अभिलेखों को मुख्य शिक्षा अधिकारी से प्रमाणित करवाकर सुस्पष्ट आख्या सहित परिषद् को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें। यदि उक्तांकित कमियाँ छः माह में पूर्ण नहीं की जाती हैं तो विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	अतिरिक्त विषय
हाईस्कूल नवीन (अंग्रेजी माध्यम)	1. हिन्दी 2. अंग्रेजी/संस्कृत 3. गणित/गृह विज्ञान (केवल बालिकाओं के लिये) 4. विज्ञान 5. सामाजिक विज्ञान 6. योग आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा 7. कार्यानुभव/उद्यमिता विकास 8. कला शिक्षा	9 (क) तृतीय भाषा (ख) वाणिज्य (ग) पेंटिंग (घ) संगीत (ङ) गृह विज्ञान (च) सूचना एवं प्रौद्योगिक (छ) कृषि (ज) व्यावसायिक शिक्षा

भवदीय

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

पृ0सं0:–मान्यता/ /2021–22 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4, देहरादून।
(2) सभापति/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक), कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
(4) मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल ।
(5) हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग/कार्यालय प्रति।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर (नैनीताल)।

Scanned with OKEN Scanner